न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–213/2023 (GCMS No. 2023/221) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. आरस्तून नवीरा मवासी पत्नी छीछन
2. समसाद नवीरा मवासी पत्नी जाहुलखॉ जाति मेव निवासी घोसिंगा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. उम्मर पुत्र मवासी जाति मेव निवासी घोसिंगा तहसील पहाडी जिला भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 23.01.2017 अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग अपील संख्या 25/2016 उनवानी आरस्तून नवीरा मवासी बनाम उम्मर दाखिल खारिज सं. 1295 दिनांक 03.12.2012 वांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी।

उपस्थिति:–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री दीपक शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्टस की ओर से श्री पंकज कुमार, वकील

नि र्ण य

दिनांक : 27.06.2024

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के आदेश दिनांक 23.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 22 रकवा 4.12 हैक्टे. वांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी में स्थित है जो अपीलांटान के नाना व रेस्पो. नं. 1 के पिता मवासी पुत्र सुल्ला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। मवासी दिनांक 16.11.2011 को फौत हो चुका है। उसने अपने पीछे उम्मर पुत्र मवासी रेस्पो. नं. 1 एवं अपीलांट नं. 1 व 2 की मॉ मगरी को छोडा है। अपीलांटस की मॉ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

मगरी की दिनांक 12.01.1995 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलांटस अपनी मॉ की मृत्यु हो जाने के बाद अपने नाना मवासी पुत्र सुल्ला के यहा ही परिवरिश पाई और अपीलांटस के नाना मवासी ने ही शादियॉ की है। मवासी का विरासतन दाखिल खारिज संख्या 1295 पटवारी हलक घोसिंगा ने एक मात्र रेस्पो. नं. 1 उम्मर पुत्र मवासी के नाम वारिस दर्शाते हुये दर्ज किया है। जिसके विरूद्ध अपीलांटस ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग के समक्ष अपील पेश की जिसमें अपीलांटान ने अपने आपको मृतक मगरी की पुत्रियॉ बताते हुये उसमें गॉव के दो गवाहान ममरेज पुत्र अयूब, हुसैनखॉ पुत्र सुफेद के शपथ पत्र पेश किये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर गौर न करते हुये अपीलांटस की अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री पंकज कुमार अभिभाषक उपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्धान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपीलांटस की अपील को बिना किसी बजुहात के खारिज किया गया है। विवादित भूमि वांके ग्राम घोसिंगा में स्थित है जो अपीलांटान के नाना व रेस्पो. नं. 1 के पिता मवासी पुत्र सुल्ला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी थी। मवासी दिनांक 16.11.2011 को फौत हो चुका है। उसने अपने पीछे उम्मर पुत्र मवासी रेस्पो. नं. एवं अपीलांट नं. 1 व 2 की मॉ मगरी को छोडा है। अपीलांटस की मॉ मगरी की दिनांक 12.01.1995 को मृत्यु हो चुकी है। अपीलांटस अपनी मॉ की मृत्यु हो जाने के बाद अपने नाना मवासी पुत्र सुल्ला के यहा ही परिवरिश पाई और अपीलांटस के नाना मवासी ने ही शादी विवाह किये है। मृतक मवासी का विरासतन दाखिल खारिज संख्या 1295 पटवारी हल्का ग्राम घोसिंगा ने रेस्पो. सं. 1 उम्मर को हमारी मॉ भगरी की मृत्यु के बाद एक मात्र वारिस बताते हुये दर्ज किया। मृतक मवासी के कानूनी विरासतन हम अपीलांटान जिन्दा हैं तो अपीलांटान के व रेस्पो. संख्या 1 को 1/3, 1/3 हिस्से का दाखिल खारिज दर्ज करना चाहिए था परन्तु तहसीलदार पहाडी ने बिना किसी बजुहात के कोई जॉच पडताल किये व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पूरी आराजी पर विरासतन रेस्पो. नं. 1 को वारिस मानकर दाखिल खारिज दर्ज किया गया है। अपीलांटान की मॉ को लाबल्द बताकर निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांटान ने अपनी अपील में अधीनस्थ न्यायालय के यहॉ गॉव के पडौसियों ममरेज पुत्र अयूब, हुसैन खॉ पुत्र सुफेद के शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से तस्दीक कराकर साक्ष्य में पेश किये जिनका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपने निर्णय में कोई हवाला नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा भगरी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई। मगरी की मृत्यु दिनांक 21.01.1995 होना दर्शाया है तथा इस मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2016 में फर्जी शपथ पत्र प्रस्तुत कर बनवाया गया है। यह कहना रेस्पो. नं. 1 का गलत है क्योंकि अपीलांटान द्वारा अपने व अपने गवाहान के शपथ पत्र देकर 27.08.2016 को मगरी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया है तो कि बिल्कुल सही है। उक्त अपील में विवाद मगरी की मृत्यु कब हुई से संबंधित है। इस संबंध में तहत अदालत को अपील में सही निष्कर्ष पहुँचने तक इसकी जॉच करानी चाहिए थी तथा तहसीलदार पहाडी को रिमाण्ड कर दोनों पक्षो के सबूत व तथ्य इकट्ठा कर जॉच करनी चाहिए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उक्त मगरी की मृत्यु के संबंध में कोई दस्तावेज पेश न होते हुये भी अपीलांटान की अपील खारिज कर भूल की है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में आरआरडी 1910 पेज 284 का हवाला दिया है जिसमें अपीलांट के मृतक के वारिसान के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही का अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है लिखा है। अतः अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का निर्णय दिनांक 23.01.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो. संख्या 1 के हक में विरासतन दाखिल खारिज को निरस्त कर मृत्यु मवासी के विरासतन दाखिल खारिज अपीलांटान व रेस्पो. नं. 1 को 1/3, 1/3 हिस्से का किया जावे।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपील में अपीलांट ने सरपंच का वारिस प्रमाण पत्र पेश किया है जबकि कानूनी प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांटान स्वयं को मगरी की पुत्रियॉ बताती हुई आती हैं इस कारण वह मवासी जिसे वो अपना नाना कहती है को सम्पत्ति पर अधिकार मॉगती हैं। अपीलांटान ने इस बावत् कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उन्हे स्व. मगरी की पुत्री माना जा सके। मगरी की शादी हाजरखां से हुई थी। शादी के छः माह बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। हाजरखां ने दूसरी शादी की थी उससे दो पुत्रियां हुई थी। राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि राजस्व न्यायालय को वारिस तय करने का अधिकार नहीं है। उसके लिए संबंधित व्यक्ति को सिविल न्यायालय में चाराजोरी करनी चाहिए। अपीलांटान ने मगरी का मृत्यु प्रमाण पत्र जो उनके द्वारा 2016 में तैयार कराया गया है जिसके आधार पर अपने का स्व. मवासी की सम्पत्ति पर अपना हक मानते है। उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र की एफ.आई.आर. पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई है। पंचायत समिति के रिकार्ड में यह मृत्यु प्रमाण पत्र कहीं भी दर्ज नहीं है। इस प्रकार उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

विवादित है। जब तक मृत्यु प्रमाण पत्र निष्पक्ष साबित नहीं हो जाता जब तक अपीलांटान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांटान अपने को स्व. मगरी की पुत्री साबित करने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करनी चाहिए। अतः अपीलांटान की अपील खारिज की जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरआरटी 2004(1) पेज 593, आरआरडी 2005 पेज 85 व 87 उद्वृत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालयों की प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि मवासी के मृत होने पर उनके वारिसान के नाम नामांतरकरण संख्या 1295 दर्ज किया गया। नामांतरकरण संख्या 1295 पर अंकित किया गया है कि मृतक पुत्री मगरी के कोई संतान नहीं थी। मगरी की मृत्यु 30 वर्ष पूर्व हो गई। नूरजहॉ बेवा फोत हो चुकी है। विरासत का नामांतरकरण उम्मर के नाम दर्ज किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अंकन सही माना है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि " नामांतरकरण संख्या 1295 वांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी में पटवारी द्वारा वारिसान के नाम अंकित करते हुये मगरी को 30 वर्ष पूर्व मृत दर्शाया गया है। वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तथ्य साक्ष्य से मेल खाते हैं। मुख्य विवाद मगरी की मृत्यु कब हुई से संबंधित है। वकील अपीलांटस व वकील रेस्पों. द्वारा इस संबंध में अलग–अलग तथ्य पेश किये है। वकील रेस्पो. द्वारा वर्ष 1993 तथा 1995 (57 फिरोजपुर झिरका विधानसभा) मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति पेश की जिसमें फजरी को हाजरखां की पत्नी दर्शाया हुआ है। परन्तु मगरी का नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं है। वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2010 इस प्रकरण पर चस्पा होती है जिसके पेज नम्बर 284 पर अंकित है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है एवं जिसमें उत्तराधिकार के प्रश्न का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। यदि अपील. मृतक के वारिस है तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं।"

7. इस प्रकार मगरी की मृत्यु लगभग 30 वर्ष पूर्व होना नामांतरकरण से स्पष्ट है। मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में विवाद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 19.08.2016 के संबंध में एफ.आई.आर. पुलिस थाना में दर्ज है। जिसमें जॉच विचाराधीन है। प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 1295 मवासी के मृत्यु उपरान्त दिनांक 03.12.2012 को स्वीकार किया गया। उस पर सजरा अंकित है। वक्त नामांतरकरण पुत्री मगरी को 30 वर्ष पूर्व फौत होना बताया है एवं मवासी की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

स्पो

पत्नी को भी 12 वर्ष पूर्व फौत होना बताया गया है। पुत्र उम्मर के नाम विरासत प्राप्त हुई। अपील में दो बिन्दु मुख्य रूप से प्रस्तुत किये है कि मगरी की मृत्यु दिनांक 21.01.1995 को हुई या किसी अन्य दिनांक को तथा अपीलांटान मगरी की पुत्रियां है या नहीं। मगरी की मृत्यु की दिनांक बावत् प्रकरण प्रमाण पत्र के फर्जी होने का पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज होना स्वीकृत तथ्य है तथा उस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है तथा अपीलांट मगरी की पुत्रियां है या नहीं इस बावत् ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किया, सिजरा जो नामांतरकरण पर अंकित है उसमें इनका कोई उल्लेख नहीं है। विरोधाभाषी कथन एवं प्रकरण सिविल प्रकृति का होने से दोनों बिन्दु पर सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णय पारित किया जा सकता है। विद्वान वकील रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर आरआरटी 2004 (1) पेज 593 में भी प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार के संबंध में प्रमाण पत्र देने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम नहीं है। ऐसे मामलों में केवल सिविल न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। आरआरडी 2005 पेज 85 एवं 87 में प्रतिपादित किया है कि नामांतरकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है। इससे अधिकार सृजित नहीं होते हैं। अधिकारों के निर्णय नियमित वाद में संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी सिविल अधिकार का निर्णय सक्षम न्यायालय के द्वारा ही किये जाने का अपना अभिमत अंकित करते हुये निर्णय किया है। रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायायल अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग का निर्णय दिनांक 23.01.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 27.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर